क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण से पत्रावली पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है तथा विप्रार्थीगण सेढा–पाडौसी होने से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करने में आमादा रहते हैं। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाब व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी के आदेश किये जावें। वकील विप्रार्थी की बहस है कि माननीय न्यायालय के वाद संख्या 93/2014 बअनवान ठाकरा वगैरा बनाम चैना वगैरा में पारिण निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 में पारित निर्णय द्वारा मूल खसरा नम्बर 420 के विभाजन से प्रार्थीगण के विवादित खसरा नम्बर 420/6 नवसृजित हुए हैं। मूल राजस्व वाद संख्या 93/2014 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2026 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष पेश की गई जो अपील संख्या 18/2017 दर्ज हुई तथा अपील स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 18.08.2022 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर राजस्व वाद संख्या 93/2014 बअनवान ठाकरा वगैरा बनाम चैना वगैरा में माननीय न्यायालय (सहायक कलक्टर गुड़ामालानी) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि उपभपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। आगे तर्क दिया कि जब जिस विभाजन से प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी के खसरे सृजित हुए हैं वह बंटवाडा ही खारिज हो चुका है तो प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर की भूमि की नेखमबन्दी करवाने के किसी प्रकार से अधिकारी नहीं रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का उक्त नेखमबन्दी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 18.08.2022 का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण का विवादित खसरा नम्बर 420/6 मूल वाद संख्या 93/2014 बअनवान ठाकरा वगैरा बनाम चैना वगैरा में सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 20.08.2016 द्वारा विभाजित होकर नवसृजित हुए हैं, उक्त निर्णय व डिक्री माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में दर्ज अपील संख्या 18/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 द्वारा निरस्त की जा चुकी है तथा प्रकरण पुनः विभाजन के लिये सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजी ग्राम बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 420/6 रकबा 3.3265 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में नेखमबन्दी कार्यवाही कराने के अधिकारी नहीं हैं। अतः इस स्तर पर प्रार्थीगण का नेखमबन्दी कार्यवाही का उक्त आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	